दिनांकः 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 01 मनचला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व मनचले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.01.2025 को थाना देवबन्द एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा **मिशन शक्ति** के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे नीले गेट जी0टी0 रोड़ पर आने-जाने वाली महिलाओं/छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाला व अश्लील गाने वाला 01 **मनचला अभियुक्त आसिफ पुत्र ईद्रिश निंवासी सल्लापुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-26/25 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

आसिफ पुत्र ईद्रिश निंवासी सल्लापुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 मनवीरी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. का0 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. का0 276 अंशिका चौहान थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

दिनांक: 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21/01/2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया के कालेज नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार बिन्द पुत्र रामकिशुन बिन्द निवासी प्रसादका पुरा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर हाल निवासी अनुभव गार्डन कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ अश्लील हरकते कर निवस्त्र करने का प्रयास करने व वादिया का पीछा कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 26/25 धारा 76/78/351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक गंगोह को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन मे महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23/01/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म में वांछित **अभियुक्त अजय कुमार बिन्द पुत्र रामकिशुन बिन्द निवासी प्रसादका पुरा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता अनुभव गार्डन कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ननौता चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय कुमार बिन्द पुत्र रामकिशुन बिन्द निवाली प्रसादका पुरा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता अनुभव गार्डन कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) म0उ0नि0 सुश्री राखी शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(2) उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(3) का0 2452 रक्षित चाहल गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. विनोद पुत्र पाल्लू निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व 2. प्रमोद पुत्र पाल्लू निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपर** को सम्बन्धित वाद सं0 189/24 धारा 452/323/325/504/506 भादवि में ग्राम रोशनपुर पैलो से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता –

1. विनोद पुत्र पाल्लू निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. प्रमोद पुत्र पाल्लू निवासी ग्राम रोशनपुर पैलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो/अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 **अभियुक्त महबूब उर्फ महमूद पुत्र शेरदीन निवासी ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को खारा पावर हाउस के पास रपटा नदी के पास से 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त महबूब उर्फ महमूद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 8/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे हरियाणा से देशी शराब सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व शराब पीने वाले लोगो को महगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है और मै अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूर कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महबूब उर्फ महमूद पुत्र शेरदीन निवासी ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 123/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 23-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा "जान से मारने की नीयत से हमले" के आरोपी 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22/01/2025 को वादी श्री भूपेन्द्र पुत्र जसबीर निवासी ग्राम कलाहलटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-अजेन्द्र पुत्र जयचन्द, 2-परविन्द्र पुत्र जयचन्द, 3-अनंगपाल पुत्र टीकाराम, 4-राजपाल पुत्र जहाना, 5-नीटू पुत्र राजपाल, 6-अंकुर पुत्र राजकुमार, 7-रोहित पुत्र तेजपाल, 8-लोटन पुत्र जहाना, 9-गुड्डन पुत्र जयपाल व 10-सतीश पुत्र किशनचन्द नि0 गण ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के भाई राहुल उर्फ जितेन्द्र के साथ गाली गलौच व लाठी डन्डो से मारपीट कर गाडी में तोड़फोड़ करने की सूचना पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/118(2)/352/324(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **02 अभियुक्तगण 1. अजेन्द्र पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. सतीश पुत्र किशनचन्द निवासी ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को तीतरो तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पताः-

(1) अजेन्द्र पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
(2) सतीश पुत्र किशनचन्द निवासी ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजेन्द्र

1. मु0अ0सं0-353/24 धारा 115/324(2)/351(2)/352 बी0एन0एस0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय तोमर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महिपाल सिंह थाना गगोह जिला सहारनपुर
3. है0का0 472 जितेन्द्र थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 2521 राजेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक: 23-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त सुकेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी म0न0 47 मौहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 1043/18 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सदर बाजार में मौहम्मदपुर बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुकेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी म0न0 47 मौहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. का 1469 इरफान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 23-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.11.2024 को वादी हाजी अशरफ अली पुत्र मरहूम शाहदत अली निवासी मौहल्ला मुन्नीबान नखाशा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 331/2024 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम मौ0 अकबर आदि 09 नफर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, धोखाधडी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धोखाधड़ी में वांछित **अभियुक्त आजाद खान पुत्र हसमत खान निवासी मन्सूर कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मंसूर कालोनी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं तथा मेरे साथी मिलकर प्रोपर्टी डीलिंग का काम करते है। हमने एक प्रोपर्टी अशरफ अली पुत्र मरहूम शाहदत अली निवासी मौहल्ला मुन्नीबान नखाशा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को देहरादून में 2550 वर्ग गज की दिखायी थी। जिसकी एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी महिला रितू मिस्ट्रीले के नाम से फर्जी कागजात तैयार कराकर अशरफ के लड़के इस्माइल के नाम कराई थी। उसके एवज में अशरफ अली से धोखाधडी कर हम लोगो ने अशरफ के कई प्लाट, जमीन व दुकान अपने तथा अपने साथियो के नाम करा लिये थे। मैने भी 200 – 200 गज के दो प्लाट 08 महीने पहले हाजी अशरफ से अपने नाम कराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

आजाद खान पुत्र हसमत खान निवासी मन्सूर कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **अजय पुत्र कलीराम निवासी तोता चौक थाना मंडी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2071/24 अंतर्गत धारा 498A भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 चालानी थाना मंडी नियत दिनांक 31.01.2025 (मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) चतुर्थ सहारनपुर) को तोता चौक के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय पुत्र कलीराम निवासी तोता चौक थाना मंडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नरेंद्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 548 रविंद्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 08 लोहे के बाट (50-50 किलोग्राम के) बरामद

अवगत कराना है कि दि0 22.01.2025 को वादी श्री दीपक भट्ट पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर ने बाबत अभियुक्तगण 1. कमल उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर, 2. सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ० राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर व 3. अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौहल्ला राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की दुकान में चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 26/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तगण 1. कमल उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ० राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर 3. अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ० राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चोरी किये गये 50 - 50 कि0ग्रा0 के 08 लोहे के बाट सहित कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभि0गण के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरणः---- कमल उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर ने पूछताछ पर बताया कि मैं सरसावा शुगर मिल के गदरहेडी गन्ना क्रय केन्द्र पर पूर्व मे चौकीदार था मुझे क्रय केन्द्र पर रखे हुए बाटो की पूरी जानकारी थी मैने व सुखविन्द्र, अमनदीप ने मिलकर दिनांक 17/18.01.2025 की रात्रि मे सरसावा शुगर मिल के गदरहेडी गन्ना क्रय केन्द्र से 50-50 किग्रा0 लोहे के 08 बाट मिलकर चोरी किये थे। जिन्हे हम दिनांक 22.01.2025 को कबाडी को बेचने के लिये सरसावा आये थे। कस्बा सरसावा से पुलिस ने हम तीनो को 50-50 किग्रा0 लोहे के 08 बाट के साथ पकड लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. कमल उर्फ गुड्डू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ० राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।
3. अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ० राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 08 लोहे के बाट (50 - 50 कि0ग्रा0 के)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 136 हरदयाल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1773 राहुल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः 23.01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी श्री सोमपाल पुत्र घासीराम निवासी घासीराम निवासी शंकर नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ने दिनांक 10.08.2023 को अभिगण 1. सेवाराम पुत्र नथलु सिंह नि0म0न0 नई ब्लाक जी-4 काशीराम कालौनी निकट शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 2. गुलजार सलमानी पुत्र नामालूम पता नामालूम द्वारा वादी के लडके की नौकरी लगवाने के नाम पर 03 लाख रुपये ले लेना व माँगने पर वापस न करना फर्जी नियुक्ति पत्र देना व गाँली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर अभियोग मु0अ0स0 352/2023 धारा 420/467/406/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर , क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 23.01.2025 को अभियुक्त सेवाराम पुत्र नथलु सिंह निवासी म0न0 नई ब्लाक जी-4 काशीराम कालौनी निकट शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात हाल निवासी कपिल विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा.

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैने और गुलजार ने मिलकर धोखाधडी करने की नियत से लालचवश पैसा कमाने के लिये सोमपाल को उसके लडके विशाल की नौकरी लगाने का लालच देकर 50000/- रुपये अपने फर्म के खाते मे तथा ढाई लाख रुपये नगद कुल 03 लाख रुपये प्राप्त कर लिये थे। और फिर सोमपाल को उसके लडके विशाल की नौकरी लगने के लिये एक फर्जी कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार करके सोमपाल को दिया था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सेवाराम पुत्र नथलु सिंह नि0म0न0 नई ब्लाक जी-4 काशीराम कालौनी निकट शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात हाल निवासी कपिल विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 23-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे मे कुकर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 23.01.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त शेखू उर्फ मुस्तफा पुत्र बन्दाहसन निवासी ग्राम रामदासपुर उर्फ नागल थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 23/25 धारा ¾ पाक्सो एक्ट के पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए मात्र 03 घण्टे में कुकर्म आरोपी **अभियुक्त शेखू उर्फ मुस्तफा पुत्र बन्दाहसन निवासी ग्राम रामदासपुर उर्फ नागल थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम रामदासपुर उर्फ नागल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शेखू उर्फ मुस्तफा पुत्र बन्दाहसन निवासी ग्राम रामदासपुर उर्फ नागल थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना नांगल सहारनपुर
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थान नांगल सहारनपुर

दिनांक: 23-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 10 घण्टे में दुष्कर्म के मामलें में आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2025 को वादी श्री राजेश त्यागी पुत्र श्री रामपाल त्यागी निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साजिद निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा पीडिता के साथ गलत काम करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सिटी यमुनानगर हरियाणा पर जीरो एफआईआर सं0 01/2025 धारा 351(2) बीएनएस व 6 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल थाना क्षेत्र चिलकाना पाये जाने के कारण मुकदमा थाना चिलकाना पर स्थानान्तरित किया गया जिसका मु0अ0सं0 19/2025 धारा 351(2) बीएनएस व 6 पोक्सो अधिनियम है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक चिलकाना को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 10 घण्टे में दुष्कर्म के आरोपी वांछित **अभियुक्त साजिद पुत्र स्व0 शरीफ निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम चौरीमण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(ड) बीएनएस व 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

साजिद पुत्र स्व0 शरीफ निवासी ग्राम चौरी मण्डी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 283/16 धारा 147/323/341/427/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर

2- मु0अ0सं0 19/25 धारा 351(2)/64(2)(ड) बीएनएस व 5(ठ)/6 पोक्सो अधि0 थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांकः 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा सट्टा पर्चा व 2650/- रूपये नकद सहित 01 सट्टेबाज/अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 सट्टेबाज अभियुक्त उस्मान उर्फ इल्ललाह पुत्र जमील तेली निवासी गप्पन रोड कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को ग्राम कैलाशपुर गप्पन रोड पर नसीम चाय वाले की दुकान के सामने पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 सटटा पर्चा, 01 पेन, व सट्टा लगवाने के 2650/- रूपये नकद बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 12/25 धारा 13जी एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

उस्मान उर्फ इल्ललाह पुत्र जमील तेली निवासी गप्पन रोड कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 सटटा पर्चा,
- 01 पेन
- 2650/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राशिंद खा सूरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 12 टुकेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 1345 सुशान्त कपिल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 23.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओ/छात्राओं पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 02 मनचले/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व मनचले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-05 के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आने जाने वाली महिलाओ/छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने व उनको देखकर अश्लील गाने गा रहे **02 मनचले/अभियुक्तगण 1. आयुश त्यागी पुत्र उर्फ लखन पुत्र रामेश्वर त्यागी नि0 ग्राम लखनोती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 2. निखिल पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम लखनोती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को अम्बोली रोड, मनोहरपुर रेलवे पुल के पास रणखण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तो की गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 27/25 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. आयुश त्यागी पुत्र उर्फ लखन पुत्र रामेश्वर त्यागी निवासी ग्राम लखनोती थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. निखिल पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम लखनोती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

4. म0उ0नि0 मनवीरी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
5. है0का0 542 सुरेशपाल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
6. म0कां0 73 शिवानी थाना देवबंद जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.1.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तो के कब्जे से 01 चाकू व 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.1.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण **1. अंकित पुत्र सोनवीर निवासी लखनोती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को चाकू सहित रणखण्डी फाटक भायला रोड़ ट्रयूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 28/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा **2. आसिफ पुत्र यूसुफ नि0 मौहल्ला रोशन कालोनी खाननका थाना देवबन्द जिला सहारनपुर हालपता हाल किरायेदार मकान शहाजद नि0 मौहल्ला बेकुन कोटला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को 01 अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित बाबूपुर नगली रोड़ नई कलोनी थाना देवबनद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि कि तमंचा/कारतूस व चाकू हम लोग अपनी सुरक्षा व लोगो पर रौब जमाने के लिए अपने पास रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अंकित पुत्र सोनवीर निवासी लखनोती थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. आसिफ पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला रोशन कालोनी खाननका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर हालपता मौहल्ला बेकुन कोटला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

विवरण बरामदगी –

- 01 नाजायज चाकू (अंकित के कब्जे से)
- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस (आसिफ के कब्जे से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रकम सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द सहारनपुर
3- है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबन्द सहारनपुर
4- का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द सहारनपुर
5- का0 2358 तरूण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 23.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 02 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया 01 लोहे का जाल व घटना मे प्रयुक्त 01 रेहडा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2025 को वादी श्री रंजीत थापा पुत्र जयभान थापा निवासी मिशन कम्पाउण्ड महादेव मन्दिर थाना सदर बाजार,सहारनपुर बनाम अज्ञात चोर द्वारा लोहे की जाल को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 -34/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतू दिशा निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **1. शहबाज पुत्र एजाज अहमद निवासी बरेलियो का मदरसा गली न0 5 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** व **2. मुजम्मिल पुत्र आजम निवासी बरेलियो का मदरसा गली न0 5 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को दिनांक 23.01.2025 को रेलवे 100 क्वार्टर चन्द्रनगर रेलवे के खाली पड़े पुराने आवासो के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया गया लोहे का जाल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त गण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो नशा करने के आदी है। चोरी आदि करके अपने नशा का खर्चा चला लेते है। और यह रेहडा साहब शहनवाज का है। हम दोनो रात के समय इस रेहडे पर साथ साथ जाते है और अगर कोई सामान मिलता है तो उसको चोरी करके रेहडे पर लादकर चोरी कर ले जाते है। यह जाल भी हम दोनो ने मिलकर दिनांक 22.01.25 की रात्रि मे कोर्ट रोड से रेड चीफ स्टोर के पास नाले के पास से चोरी किया था। जब हम दोनो चोरी करके जाल ले जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने शोर मचा दिया था। तो तब हम दोनो ने रेहडे को मय चोरी किये जाल के साथ रेलवे के खाली पडे क्वार्टर मे छिपा दिया था जिसे हम दोनो आज बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शहबाज पुत्र एजाज अहमद नि0 बरेलियो का मदरसा गली न0 5 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद स0पुर
2. मुजम्मिल पुत्र आजम नि0 बरेलियो का मदरसा गली न0 5 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 लोहे का जाल
- 01 रेहडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार , सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना सदर बाजार ,सहारनपुर।
2. है0का0 881 धीरज थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
3. है0का0 869 सुमित थाना सदर बाजार, सहारनपुर
4. का0 173 रोहित थाना सदर बाजार, सहारनपुर